

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2284

जिसका उत्तर शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023/24 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी और यूरिया का उत्पादन और खपत

2284. श्री जसबीर सिंह गिल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन, पोटेशियम नाइट्रेट के उत्पादन और खपत की मात्रा का ब्यौरा क्या है और ऐसे रसायनों के कोटे का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या पंजाब राज्य के लिए ऐसे रसायनों के कोटे में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य को कितना कोटा आवंटित किया गया है;
- (ग) क्या देश में फसल उगाने के लिए प्रति एकड़ आवश्यक डीएपी यूरिया आदि जैसे विभिन्न उर्वरक आदानों की इष्टतम मात्रा संबंधी कोई अवधि है और वर्तमान में कितनी मात्रा संबंधी उपयोग किया जा रहा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) से (घ): वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक विगत तीन वर्ष के दौरान उर्वरकों जैसे डीएपी, यूरिया और एनपीके के कुल उत्पादन और खपत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक विगत तीन वर्ष के दौरान उर्वरकों जैसे डीएपी, यूरिया और एनपीके का उत्पादन और खपत						
(आंकड़े एलएमटी में)						
वर्ष	उत्पादन			खपत		
	यूरिया	डीएपी	एनपीके	यूरिया	डीएपी	एनपीके
2020-21	246.05	37.74	100.54	350.51	119.18	125.82
2021-22	250.72	42.22	89.67	341.73	92.64	121.37
2022-23	284.94	43.47	100.40	357.26	105.31	107.31

देश में उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन प्रत्येक फसली मौसम (खरीफ और रबी) से पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएण्डएफडब्ल्यू) द्वारा राज्य सरकारों के समन्वय से किया जाता है। 2020-21 से 2022-23 तक पिछले तीन वर्ष के दौरान पंजाब राज्य में उर्वरकों की आवश्यकता निम्नानुसार है:

2020-21 से 2022-23 तक पिछले तीन वर्ष के दौरान पंजाब राज्य में उर्वरकों की आवश्यकता			
(आंकड़े 'एलएमटी' में)			
उर्वरकों का नाम	2020-21	2021-22	2022-23
यूरिया	28.30	28.50	29.25
डीएपी	8.25	8.00	7.25
एनपीके	0.76	0.76	1.70

एन, पी, के उर्वरकों की आवश्यकता फसल दर फसल भिन्न होती है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थान किसानों द्वारा एनपीके उर्वरकों के प्रयोग के लिए राज्य विशिष्ट और फसल विशिष्ट सामान्य उर्वरक सिफारिशें (जीएफआर) प्रदान करते हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वार्षिक आधार पर प्रमुख उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में खपत के आंकड़े रखता है। वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक पिछले तीन वर्ष के दौरान यूरिया और डीएपी की प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में राज्यवार खपत **अनुलग्नक-1** पर दी गई है।

भारत सरकार एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा दे रही है जिसमें पोषकतत्वों के आर्गेनिक स्रोतों, जैसे फार्म यार्ड खाद (एफवाईएम), शहरी कम्पोस्ट, वर्मी-कम्पोस्ट और जैव-उर्वरक जो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बचत करते हैं, के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों का मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत उपयोग शामिल है। वर्ष 2015 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) स्कीम के कार्यान्वयन के माध्यम से आईएनएम को बढ़ावा दिया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा के पोषकतत्व की स्थिति बताता है, साथ ही मृदा के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इन-आर्गेनिक और आर्गेनिक उर्वरकों के संतुलित और एकीकृत उपयोग के बारे में बताता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में प्रदर्शनियां और उर्वरकों के उचित और एकीकृत उपयोग के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण इस स्कीम के अभिन्न अंग हैं। किसानों के प्रशिक्षण, किसानों के खेतों पर प्रदर्शनियों और किसान मेलों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले तीन साल 2020-21 से 2022-23 के दौरान
राज्यवार प्रति हेक्टेयर किलोग्राम यूरिया एवं डीएपी

(इकाई: '000 एमटी)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23	
	यूरिया	डीएपी	यूरिया	डीएपी	यूरिया	डीएपी
आंध्र प्रदेश	182.61	48.32	171.65	41.71	197.45	57.72
तेलंगाना	203.77	36.48	216.23	37.68	206.56	40.72
कर्नाटक	105.85	43.92	114.02	36.63	115.96	39.56
केरल	25.20	4.19	22.62	2.76	22.06	3.65
तमिलनाडु	145.76	40.11	140.66	32.37	132.38	36.37
पुदुचेरी	363.38	29.75	381.20	26.37	428.19	42.82
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.15	0.00	0.25	1.24	3.79	10.88
गुजरात	165.56	45.54	152.50	34.80	174.07	42.91
मध्य प्रदेश	105.93	56.42	104.46	43.07	114.15	48.80
छत्तीसगढ़	139.82	68.79	121.34	53.53	128.25	48.05
महाराष्ट्र	93.23	30.92	90.14	22.34	89.83	26.14
राजस्थान	87.87	34.71	81.46	21.99	89.44	30.10
गोवा	26.78	5.42	21.27	0.97	20.06	4.36
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दादर और नगर हवेली	45.40	42.64	27.07	10.50	35.81	11.02
हरियाणा	331.73	97.36	331.30	79.12	323.96	88.55
पंजाब	374.70	98.65	400.48	80.17	375.63	91.49
उत्तर प्रदेश	266.48	92.60	249.61	74.40	253.54	75.95
उत्तराखण्ड	205.18	32.28	181.24	27.32	178.90	45.06
हिमाचल प्रदेश	78.58	2.09	81.14	0.16	80.52	1.95
जम्मू और कश्मीर	133.69	49.76	103.08	27.27	97.61	29.05
दिल्ली	225.41	38.19	273.99	35.62	281.45	54.88
बिहार	256.32	89.38	219.10	56.16	216.24	55.69
झारखण्ड	70.05	29.35	70.21	24.73	103.49	31.02
ओडिशा	66.34	31.65	69.43	29.76	64.19	22.18
पश्चिम बंगाल	134.19	41.36	139.53	28.35	147.41	39.58
असम	73.16	16.77	76.40	10.97	71.29	12.63
त्रिपुरा	26.49	8.74	35.45	1.57	40.04	3.38
मणिपुर	59.26	10.73	39.45	1.78	82.20	10.44
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	1.25	0.12	4.27	0.00	-	-
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00
मिजोरम	16.22	1.57	9.80	0.00	78.92	9.80
अखिल भारत	152.46	51.84	147.66	40.03	151.98	44.80

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय